Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

➢ **डूंगरपुर के पुलिस थाना दोवडा के कॉनिस्टेबल व हैड कॉनिस्टेबल 1,50,000/- रूपये रिश्वत लेते गिरफ्तार।**

जयपुर, दिनांक 28 जनवरी 2026, बुधवार। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर ए.सी.बी. कार्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों डूंगरपुर इकाई द्वारा कार्यवाही करते हुये **प्रकाश चन्द्र पटेल, कानि. व अशोक कुमार पाटीदार, हैड कानि.** को 1,50,000/- **रूपये** रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के **महानिदेशक पुलिस श्री गोविन्द गुप्ता** ने बताया कि ए.सी.बी. डूंगरपुर को एक शिकायत इस आशय की मिली कि परिवादी दिनांक 18.01.2026 को इण्डियन पेट्रोल पम्प के पास नयागांव मे खडा था। परिवादी ने बताया की वहां पुलिस की एक गाडी आकर मेरे पास रूकी और उसमे बैठे हुये पुलिसवाले ने मुझसे पूछा की निलेश पिता केवजी पाटीदार निवासी नयागांव का घर किधर है तो मैंने कहाँ की मुझे निलेश के घर का पता नही है। फिर मुझे पुलिसवाले ने मेरा नाम पूछा फिर पुलिसवाले ने मुझ से कहा की तेरा मोबाईल मुझे दे, उसने मेरा मोबाईल खोलकर देखा और मुझे कहा की तु भी लोकेन्टो खेलकर लोगो के साथ ठगी करता है। तेरे मोबाईल में बहुत सारे लेन-देन हो रखे है। यह कहते हुये मुझे पुलिसवाले ने पुलिस की गाडी में बैठाकर वहा से पुलिस थाना दोवडा की तरफ रवाना हुये। रास्ते मे पुलिसवाले ने मुझे बताया की मेरा नाम प्रकाश पाटीदार है। दोवडा थाने में सीआई साहब भी पाटीदार है, मैं सीआई साहब से बात करके तेरे खिलाफ मुकदमा नही होने दूंगा व तेरा मोबाईल भी तुझे वापस दे दूंगा। तुम ऑनलाईन गेम खेलकर लोगो के साथ ठगी कर रहे हो पुलिस थाने मे मुकदमा दर्ज हो गया तो जिन्दगी खराब हो जायेगी। महीनो तक जमानत नही होगी मैं तुझे अभी यही पर उतार देता हूं और मेरे मोबाईल नम्बर लिखकर देता हूं। तुम दो लाख रूपये लेकर पुलिस थाना दोवडा आकर मुझसे मिल कर दो लाख रूपये मुझे दे देना, सीआई साहब से बात कर के तेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज नही होने देंगे और तेरा मोबाईल वापस दे देगें। उसके बाद पुलिस की गाडी रोक कर मुझे वागदरी उतार कर चले गये। जिस पर मैने यह बात मेरे बडे भाई को बताई। दिनांक 20.01.2026 व 24.01. 2026 को परिवादी के भाई ने प्रकाश जी पाटीदार कानिस्टेबल पुलिस थाना दोवडा से जरिये मोबाईल पर वार्ता की जिस पर प्रकाश जी कानिस्टेबल ने कहा मोबाईल पर बात नही होती पुलिस थाना दोवडा आकर मिलो। इस प्रकार श्री प्रकाश जी पाटीदार परवादी से दो लाख रूपये की रिश्वत राशि की मांग कर परेशान किया जा रहा हैं।

जिस पर दिनांक 28.01.2026 को रिश्वत राशि मांग का सत्यापन कराया गया जिसमें आरोपी प्रकाश चन्द्र पटेल, कानि. व अशोक कुमार पाटीदार, हैड कानि. ने परिवादी से रिश्वत राशि 1,50,000/- रूपये लेने हेतु सहमत हुये।

एसीबी के **उप महानिरीक्षक पुलिस श्री डॉ० रामेश्वर सिंह** के सुपरविजन में ए.सी.बी. डूंगरपुर के **उप अधीक्षक पुलिस श्री रतन सिंह राजपुरोहित** के नेतृत्व में मय टीम के ट्रेप कार्यवाही करते हुए आरोपी प्रकाश चन्द्र पटेल, कानि. व अशोक कुमार पाटीदार, हैड कानि. को 1,50,000/- रूपये रिश्वत राशि लेते हुए गिरफ्तार किया गया।

एसीबी के **महानिरीक्षक पुलिस श्री राजेश सिंह** के सुपरवीजन में आरोपीगण से पूछताछ तथा कार्यवाही जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।